उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक –182 / उ0प्र0सू0आ0 / सचिव / 2021 दिनांक :30 सितम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दायर शिकायतों/अपीलों की पत्रावली के प्रपत्रों एवं शिकायतों/अपीलों में मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित अंतिम एवं अंतरिम आदेशों की प्रतिलिपि प्राप्त करने की व्यवस्था आयोग के पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–20 / संयुक्त रजि0 / उ0प्र0सू0आ0 / 2017 दिनांक 15 फरवरी, 2017, कार्यालय आदेश संख्या–47 / रजि0 / उ0प्र0रा0सू0आ0 / 2018 दिनांक 15 फरवरी, 2015 एवं कार्यालय आदेश संख्या–111 / उ0प्र0सू0आ0 / रजिस्ट्रार / 1(1) / 2019 दिनांक 30 जुलाई, 2021 द्वारा निर्धारित की गयी है।

यह अनुभव किया गया है कि आयोग द्वारा पारित किए जाने वाले कार्यालय आदेशों तथा निरीक्षण प्रार्थना पत्र, नकल प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रार्थना पत्र एवं प्रपत्र (जो किसी अपील / शिकायत / पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित नहीं है) पर पारित आदेशों की प्रतिलिपि हेतु भी आवेदन किया जाता है। अतः उक्त प्रपत्रों की नकलें जारी किए जाने हेतु व्यवस्था निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है–

(1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित प्रपत्रों की नकल प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन दे सकता है :–

(i) नकल आवेदन पत्र पर पारित आदेश।
(ii) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश।
(iii) आयोग द्वारा पारित कार्यालय आदेश।
(iv) किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा आयोग को भेजे गए पत्र / सुझाव / शिकायत पर पारित आदेश व कृत–कार्यवाही।

(2) उपर्युक्त क्रम संख्या–1(iv) में उल्लिखित पत्र / सुझाव / शिकायत उसके निस्तारण के 06 माह उपरान्त विनिष्ट कर दिए जाएंगे।

(3) नकल प्राप्त करने हेतु शुल्क की धनराशि कार्यालय आदेश संख्या–111 / उ0प्र0सू0आ0 / रजिस्ट्रार / 1(1) / 2019 दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(4) नकल आवेदन परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप में प्रेषित किया जाएगा।

(5) यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जा रहा है।

(भवेश कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
(3) सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(4) रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(5) संयुक्त निबंधक, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(6) उप–सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(8) प्रशासनिक अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(9) शोध अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
(10) संवीक्षा पटल के समस्त कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।
(11) प्रभारी प्रतिलिपि अनुभाग।

30/09/2021
प्रशान्त बिलगैयाँ
(रजिस्ट्रार)

कार्यालय आदेश एवं नकल आवेदन/निरीक्षण आवेदन/अन्य प्रपत्रों पर पारित आदेश की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
उ०प्र० सूचना आयोग,
लखनऊ।

कोर्ट फीस स्टाम्प यहाँ नत्थी करें (चिपकायें नहीं)

कार्यालय प्रयोग हेतु

नकल प्रार्थनापत्र पंजीकरण संख्या	
दिनांक	

महोदय,

कृपया प्रार्थी को निम्न वर्णित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें–

1– जिस प्रपत्र की प्रति चाहिए, उसे (√) करें–

☐ नकल आवेदन पर पारित आदेश ☐ निरीक्षण आवेदन पर पारित आदेश ☐ कार्यालय आदेश

☐ आयोग को प्रेषित पत्र/सुझाव/शिकायत पर कृत कार्यवाही/आदेश

2– उपर्युक्त प्रपत्र की दिनांक	
3– उपर्युक्त प्रपत्र यदि कार्यालय आदेश है, तो कार्यालय आदेश सं० अथवा कार्यालय आदेश की विषयवस्तु	
4– उपर्युक्त प्रपत्र यदि कार्यालय आदेश के अतिरिक्त अन्य प्रपत्र है, तो आवेदन पत्र/सुझाव/शिकायत के आवेदक का नाम	
5– जिस प्रपत्र की प्रतिलिपि वांछित है, उसके पृष्ठों की संख्या (यदि ज्ञात हो)	
6– क्या नकल डाक द्वारा वांछित है (हाँ/नहीं) (यदि हाँ तो आवेदक 4.5 x 10 इंच आकार का लिफाफा, जिस पर उसका पूर्ण डाक पता लिखा हो, संलग्न करें तथा उसका विवरण सामने अंकित करें। यदि पंजीकृत डाक हेतु डाक टिकट पर्याप्त नहीं पाए गए तो साधारण डाक से नकल भेजी जायेगी।	

मैं _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (आवेदक) घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र, जिसकी नकल चाही गयी है, की नकल पूर्व में एक से अधिक बार प्राप्त नहीं की गयी है।

आवेदन की तिथि– आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम व पता
तथा मोबाइल नं०